

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम :- **District Programme Management Unit (DPMU)**

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)- **Strengthening of DHS/DPMU (Including HR, Management Cost, Mobility Support, field visits)**

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) - **A.10.2 (A.10.2.1 & A.10.2.2)**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)

राज्य के सभी 38 जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिला में निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं :

जिला कार्यक्रम प्रबंधक-1

जिला लेखा प्रबंधक-1

जिला अनुश्रवण एवं अन्वेषण पदाधिकारी-1

जिले स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुचारु रूप से संचालन हेतु सभी जिलों में District Programme Management Unit (DPMU) की स्थापना की गयी है।

इकाई राशि -

One DPMU Expenses (Salary Head):

Sl. No.	Particular	No. of Post	Salary (PM)	Annual Increment 2011-12 (10% - After completion of one year service)	Amount (Per Annum)
1	District Programme Manager	1	35420	38962	467544
2	District Accounts Manager	1	29700	32670	392040
3	District M & E Officer	1	24750	27225	326700
Total					1186284

One DPMU Recurring Expenses:

Sl. No.	Particular	Amount (PM)	Amount (per Annum)
1.	Recurring Expenses (including Mobility and Office Expenses, Assistant or Data Entry Operator (2 nos.) @ Rs. 8000 pm per Office Assistant or DEO, 1 Office Assistant (Accounts) @ Rs. 6000, 1 Office Assistant @ 6000, Rent of DHS office, Meeting Expenses and Purchase of furniture)	85000	1020000

1 DPMU के लिए 1186284 + 1020000 = 22,06,284 (कुल 12 महीनों के लिए)।

वित्तीय दिशा-निर्देश-

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जाती है। District Planning Coordinator भी चूंकि DPMU के एक सदस्य हैं, अतः आवश्यकतानुसार DPM, DAM एवं M & E Officer के साथ-साथ District Planning Coordinator Mobility and office expense का उपयोग कर सकते हैं। कर्मियों के चिकित्सा भत्ता (200/ रु० प्रति माह) का भुगतान भी इसी मद से किया जाएगा।
- कार्यालय पत्रांक SHSB/FA/21/2006/5492 दिनांक 06.03.2008 के आलोक में जिला का अनुश्रवण हेतु एक वाहन सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन एवं एक वाहन जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट के अधीन रहेंगे।
- Office Assistant (Accounts) के पद पर चयन हेतु स्नातक (कॉमर्स) उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान एवं Office Assistant के पद पर चयन हेतु स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। दोनों पदों हेतु आयु सीमा कम-से-कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। उक्त पदों पर चयन/नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जाएगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या, तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम -

जय प्रकाश सिंह (बि०प्र०से०)

वरीय उप-समाहर्ता-सह-प्रभारी, मानव संसाधन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - का० - 7488270145 / मोबाईल - 9470003012